



395



निग/3105/अ/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मं0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

श्री. लक्ष्मण सिंह यादव

द्वारा आज दि. 14-9-15 को

प्रस्तुत:

14/9/15
कलेक्ट ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. भगवानदास पुत्र श्री परमानन्द, आयु 55 वर्ष,
2. गनपत पुत्र श्री परमानन्द, आयु 53 वर्ष,
3. रामअसरे पुत्र श्री परमानन्द, आयु 51 वर्ष,
4. मइयादीन पुत्र श्री परमानन्द, आयु 48 वर्ष,

निवासीगण ग्राम प्रकाश बम्होरी (भाऊ का खोडा) तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर म0प्र0

-- आवेदकगण

बनाम

1. शिवकुमारी वैवा श्री रामप्रकाश यादव,
2. बबली पुत्री रामप्रकाश यादव,
3. रेखा पुत्री रामप्रकाश

निवासीगण ग्राम प्रकाश बम्होरी (भाऊ का खोडा) तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर म0प्र0

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 आदेश दिनांक 17.08.15 एवं 07.09.15 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 188/अपील/2012-13 लवकुशनगर, जिला छतरपुर के रा0 प्र0क्र0 20/अ-3/13-14

माननीय न्यायालय,


निगरानीकर्ता आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:

— 2 —
न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3105-दो/2015

जिला छतरपुर
भगवानदास विरूद्ध शिवकुमारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 188/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2015 एवं 07-09-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर.के. जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">18/03/19</p>